राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

RNI.No. UPHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करे
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | 9511151254 | epaper.swatantraprabhat.com | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, रविवार, 20 अप्रैल 2025
वर्ष 14, अंक 11, पृष्ट 04,मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

पीसीएफ केंद्र बंद होने से दर-दर भटकने को विवश किसान ...03

बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा, '1971 की ज्यादती के लिए मांगे सार्वजनिक माफी, दे मुआवजा'...04

बांग्लादेश- हिंदू प्रिंसिपल को पीटा गया, झूठे आरोप लगाकार इस्तीफा देने पर किया मजबूर

● माइनॉरिटी की सुरक्षा को लेकर भारत को उपदेश देने वाले मोहम्मद यूनुस को अपने यहां क्या चल रहा है, इसका पता ही नहीं. बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, वह सत्ता की मिलीभगत के बिना संभव नहीं

स्वतंत्र प्रभात

ढाका। बांग्लादेश के एक हाई स्कूल के हिंदू प्रिंसिपल को कथित तौर पर बंधक बनाया गया और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि चटगांव के भटियारी हाजी तोबारक अली चौधरी (टीएसी) हाई स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य कांति लाल आचार्य पर खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके संबद्ध संगठनों के सदस्यों ने त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला।

प्रिंसिपल की बेटी भावना आचार्य ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके पिता को बिना किसी आरोप के पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ÷मेरे पिता कांति लाल आचार्य 35 साल से भटियारी हाजी तोबारक अली हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बुधवार को मेरे पिता को बिना किसी सिद्ध आरोप के जबरन कार्यवाहक प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया। मेरे पिता ने क्या अपराध किया है? यह नहीं बताया गया।"

भावना आचार्य ने लिखा, "ताजा घटना से पहले मेरे पिता को स्कूल जाने से मना किया गया। उनसे कहा गया कि अगर वे स्कूल गए तो उन्हें अपमानित किया जाएगा। इसके जवाब में मेरे पिता ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे अपने पद से हटने के लिए कहेंगे तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पद छोड़ दूंगा लेकिन मैं फिर भी स्कूल जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं। उन्होंने अपने अपराध का सबूत लाने के लिए कहा।"

भावना ने बताया कि उनके पिता को जबरन एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। कागज में लिखा था कि वे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। उनके मुताबिक, "मेरे पिता ने निडरता से कहा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और वे उस पन्ने पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। इस पर लोगों ने मेरे पिता की पिटाई कर दी। बाद में एक और पर्चा लिखा गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है।" भावना ने निराशा व्यक्त करते हुए आगे कहा, "यह शिक्षक का अपमान है! हम दुनिया के एकमात्र नीच राष्ट्र हैं जो हर स्तर पर शिक्षकों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें इस अपमानजनक स्थिति में डाल रहे हैं।"

बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रथम आलो से बात करते हुए कांति लाल आचार्य ने कहा कि स्कूल में हुई घटना के बाद से वह बीमार पड़ गए हैं, डरे हुए हैं और उनका पूरा परिवार भी उनके लिए चिंतित है। घटना के बारे में पूछे जाने पर उपजिला कार्यकारी अधिकारी फखरुल इस्लाम ने प्रोथोम अलो को बताया कि चटगांव शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है।

हिंदू प्रिंसिपल को पद छोड़ने पर किया मजबूर

प्रधानाध्यापक की बेटी भावना आचार्य ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके पिता को बिना किसी आरोप के पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मेरे पिता कांति लाल आचार्य 35 साल से भटियारी हाजी तोबारक अली हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बुधवार को मेरे पिता को बिना किसी सिद्ध आरोप के जबरन कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद से हटा दिया गया। मेरे पिता ने क्या अपराध किया है? यह नहीं बताया गया।

कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि शिक्षक पर हमला करने वाले बीएनपी सदस्यों ने दावा किया था कि बांग्लादेश एक इस्लामिक राज्य होना चाहिए, जहां गैर-मुस्लिम प्रधानाध्यापकों की कोई जगह नहीं। पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंसा और कानून व्यवस्था के लगातार खराब होने का सिलसिला जारी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर अक्सर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बरतने और उन्हें सुरक्षा न देने का आरोप लगाया जाता है।

भारत ने बांग्लादेश की स्थिति पर बार-बार चिंता जताई है और उम्मीद जताई है कि यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान यूनुस के साथ अपनी बैठक के दौरान हिंदुओं सहित बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था।

गोवा सतर्कता विभाग ने भाजपा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ रोजाना भ्रष्टाचार की शिकायतो का खुलासा किया

हालांकि पिछले पांच वर्षों में उन शिकायतों के आधार पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन "अधिकारियों पर अवैध रिश्वत मांगने और आधिकारिक शक्ति का दुरुपयोग करने जैसे अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है

स्वतंत्र प्रभात

कांग्रेस द्वारा गोवा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर 304.24 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाने के कुछ सप्ताह बाद, राज्य सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में, औसतन, प्रतिदिन एक से अधिक सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विभाग में भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतें दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च 2020 से अब तक सतर्कता विभाग में 2,741 शिकायतें दर्ज की गई हैं। हालांकि पिछले पांच वर्षों में उन शिकायतों के आधार पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन "अधिकारियों पर अवैध रिश्वत मांगने और आधिकारिक शक्ति का दुरुपयोग करने जैसे अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।"

टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, "इस अवधि के दौरान, 15 से अधिक सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उनमें से अधिकांश को बहाल कर दिया गया।" रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों को निलंबित किए जाने के कारणों में कथित रूप से जाली वेतन प्रमाणपत्रों के साथ विभिन्न बैंकों/सहकारी समितियों से धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करना और धोखाधड़ी से जमीन के भूखंड हड़पना शामिल है। कांग्रेस के आरोप

यह रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के 22 मार्च के बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने भाजपा को "मिनी-अदानियों का गिरोह" बताया था और दावा किया था कि सत्तारूढ़ पार्टी "सरकारी परियोजनाओं में निजी खिलाड़ियों को व्यवस्थित रूप से लाभ पहुंचा रही है"। एक्स पर बयान देते हुए खेड़ा ने कहा था, "प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी की तथाकथित 'भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई' 'भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ाई' है - गोवा में उनकी अपनी सरकार इस खोखली बात का एक प्रमुख उदाहरण है। सार्वजनिक निधियों में 304.24 करोड़ रुपये का घोटाला, जिसमें निजी खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना 20 से अधिक परियोजनाएं दी गईं, ने गोवा के लोगों को लूटा है। 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' एक मृगतृष्णा है। भाजपा ने गोवा में 'मिनी-अदानियों' का एक गिरोह बनाया है, जो बेहतरीन अनुबंधों को देने में पक्षपात के माध्यम से लाभ उठाते हैं, खरीद नियमावली और केंद्रीय सतर्कता आयोग के हर नियम को खुलेआम ध्वस्त करते हैं।"

इससे कुछ दिन पहले ही गोवा भाजपा के नेता और पहली प्रमोद सावंत सरकार में मंत्री रहे पांडुरंग मडकाइकर ने अपनी ही सरकार पर "केवल भ्रष्टाचार में लिप्त" होने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी।उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से कहा था, "लूट चल रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है। वे केवल पैसे गिनने में व्यस्त हैं। सभी मंत्री पैसे गिनने में व्यस्त हैं। गोवा में कुछ भी नहीं हो रहा है।"

उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें भी "छोटे से काम" के लिए "रिश्वत देने के लिए मजबूर" किया गया था। किसी का नाम लिए बिना मडकाइकर ने आरोप लगाया था कि "फाइलों को मंजूरी" दिलाने के लिए राज्य के मंत्रियों को लाखों में भुगतान करना पड़ता है। मुख्यमंत्री सावंत ने आरोपों से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा, "उन्होंने मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। उनसे (मंत्री कौन

संक्षिप्त ख़बरें

दबंग नहीं काटने दे रहे गेहूं की फसल, पीड़ित ने एसडीम सहित पुलिस से की शिकायत

शाहजहांपुर। जनपद के थाना जलालाबाद क्षेत्र में दबंगों ने एक पीड़ित किसान के खेत में खड़ी फसल को काटने से मना कर दिया तो पड़ित ने थाने पर शिकायत की जब यहां भी न्याय नहीं मिला तो मजबूरन पीड़ित किसान को उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।ग्राम ग्राम उम्मरपुर निवासी रवींद्र ने उप जिला अधिकारी जलालाबाद को प्रार्थना पत्र देने के बाद शुक्रवार दिन के11:00 बताया कि उसकी खेती अमानुल्लापुर भुडिया, तहसील जलालाबाद, मे है।जमीन उनकी माता जी के नाम है, जिसकी गाटा सं0-21 है जिसका रकबा 20 बीघा है। जिसमें तहसील प्रशासन की देखरेख में गेहूं की फसल बोई गई थी। परंतु गांव के नरेश व सत्यपाल व जुगेन्द्र की नियत खराब हो गई जा जो उनको गेहूं की फसल काटने नहीं दे रहे हैं। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी सहित पुलिस विभाग को उनकी गेहूं की फसल कटवाये जाने की मांग की।

नैनी डान्डी क्षेत्र में सरकारी रोडवेज ने मारी महिला को टक्कर परिजनों ने शव को रख के किया चक्का जाम

प्रयागराज। कापेश कुमार विश्वकर्मा निवासी जसरा तातारगंज थाना घूरपुर जनपद. प्रयागराज की मा को सरकारी रोडवेज बस नंबर क्8छ्ह7515 का चालक तेज गति से लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए शिवकली पत्नी शिव प्रकाश विश्वकर्मा के ऊपर वाहन् चढ़ा दिया जिससे उनकि मौके पर ही मृत्यु हो गई. वही मोके पर हजारों की तादात में जनता मौजूद रही व मौके पर समस्त नैनी थाने की टीम मौजूद रही नैनी थाने द्वारा एफ आई आर दर्ज कर विविध कारवाई की गयी वहि ऐ सी पी साहब ने उनकी मांगों को पूरा करने का अस्वासन दिया।

दबंग बनिका ग्राम प्रधान ने कब्जाई करोडो की सरकारी जमीने तहसील प्रशासन मौन

● क्षेत्रीय लेखपाल से मिली भगत करके गाटा संख्या 750, 749,863, 1072 व 1083 भूमि स्थिति बनिका की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्ज़ा कर करवाए जा रहे पक्के निर्माण

मुख्यमंत्री के आदेशों की

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।

लखीमपुर खीरी जनपद खीरी की तहसीलों में अफसर शाही पर नौकरशाही इस कदर हावी देखी जा सकती है कि किसी ने कभी नहीं सोचा होगा लेकिन आज बात उक्त पूर्णता सत्य साबित होती दिखाई पड़ रही है जिसकी बांनगी तहसील सदर लखीमपुर की ग्राम पंचायत बनिका गांव में देखी जा सकती है यहां पर ग्राम प्रधान मनोज कुमार और क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आपस में साठगाँठ जोड़कर के करोड़ों की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके पक्का निर्माण कराया जा रहा है और लेखपाल साहब मुक़दर्शक बने अवैध पक्का निर्माण होते देख रहे हैं शायद लेखपाल साहब के लिए कम के आदेश हुआ जिला अधिकारी खीरी सहित एसडीएम सदर के आदेश कोई मायने ही ना रखते हो जो ग्राम बनिक में करोड़ों की सरकारी जमीन जिनकी गाटा संख्या क्रमशः 750 749 863 1083 जो नवीन प्रति के नाम दर्ज कागजात हैं और गाटा संख्या 172 में स्कूल की भूमि है और आंगनबाड़ी केंद्र व स्वास्थ्य केंद्र बना है तथा उक्त गाटा संख्या 172 में बच्चे शेष रखवा के रिक्त पड़ी भूमि पर वर्तमान ग्राम प्रधान मनोज ने अवैध कब्जा करके अपने मकान का निर्माण करना शुरू कर दिया इतना ही नहीं कोई कार्रवाई नहीं होने और लेखपाल सहित तहसील प्रशासन से गहरी 60 घाट के चलते उक्त प्रधान ने गाटा संख्या 863 जिसमें आरसीसी केंद्र बना हुआ है इस के बगल में दोनों तरफ लिफ्ट पड़ी जमीन पर प्रधान द्वारा अवैध कब्जा करके मकान का निर्माण शुरू कर दिया गया गाटा संख्या 749 750 जो नवीन प्रति के नाम राजस्व ब्लॉक में दर्ज कर जाता है उक्त गेटों के आशिक भाग पर अन्नपूर्णा भवन बना है शेष

भूमि पर भी ग्राम प्रधान मनोज अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध कब्जा कर मकान तथा चारदीवारी का निर्माण करवा डाला और लेखपाल कानून को सब सोते रहे इनका इतने बड़े अवैध कब्जों की भनक तक नहीं आखिर क्यों क्या लेखपाल साहब क्षेत्र पर जाते ही नहीं या फिर सब कुछ जानने के बाद भी अनदेखा किया जाता रहा तहसील प्रशासन से मिली छूट के चलते ग्राम प्रधान ने नवीन प्रति की जमीन गाटा संख्या 1083 पर भी दबंगई और धमाल के दम पर अवैध कब्जा करके दुकान बनवाए जाने के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से लिखित शिकायत करके सरकारी जमीनों पर प्रधान द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग की गई है और दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराए जाने की भी गुहार शिकायत करता घरों द्वारा लगाई गई है अब देखना यह है की तहसील प्रशासन द्वारा उक्त बृहद अवैध कब्जे के मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है

इस संबंध में जब तहसीलदार लखीमपुर से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो साहब

इलाहाबाद हाई कोर्ट में छह नए न्यायाधीशों ने ली शपथ

स्वतंत्र प्रभात

इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार सुबह 10 बजे मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने छह नए न्यायमूर्तियों को पद की शपथ दिलाई। सभी अभी तक जिला जज थे। जितेन्द्र कुमार सिन्हा, अनिल कुमार (दशम), संदीप जैन, अवनीश सक्सेना, मदन पाल सिंह एवं हरवीर सिंह ने अतिरिक्त न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली। इस दौरान अन्य न्यायमूर्ति गण तथा बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह के कारण न्यायिक कार्य दिन में 11 बजे प्रारंभ हुआ। इन छह न्यायमूर्तियों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 160 जजों वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्तियों की कुल संख्या 87 हो गई है। इनमें 23 न्यायमूर्ति लखनऊ खंडपीठ के हैं।

86 जस्टिस ही करेंगे न्यायिक कार्य फिलहाल 86 जस्टिस ही न्यायिक कार्य करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से स्थानांतरित जस्टिस यशवंत वर्मा के न्यायिक कार्य करने पर रोक लगी हुई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इसी माह के पहले सप्ताह आठ जिला जजों को इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की संस्तुति की थी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बुधवार को इनमें छह लोगों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। अभी दो जिला जजों तथा दो अधिवक्ताओं को न्यायमूर्ति बनाए जाने की संस्तुति सरकार के पास लंबित है। जिला जज तेज प्रताप तिवारी (गोरखपुर) तथा अब्दुल शाहिद (प्रतापगढ़) के नाम को हरी झंडी नहीं मिल सकी है। दो अधिवक्ताओं सर्वश्री अमिताभ कुमार राय (लखनऊ) व राजीव लोचन शुक्ला (प्रयागराज) को भी न्यायमूर्ति बनाए जाने की संस्तुति मार्च आखिर में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके नामों पर भी अपनी मंजूरी नहीं दी है। वैसे यदि इन नामों को मंजूरी मिल भी जाती है तब भी न्यायमूर्तियों की संख्या स्वीकृत पदों से काफी कम रहेगी।

पत्नी की जगह पति करता 'काम', 365 दिन में 55 लाख इधर-उधर, 'उसके' खाते में डाले 35 लाख

रीवा जिले में बाणसागर परियोजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दुर्गेश गुप्ता नामक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह उसका पति संतोष गुप्ता काम करता था। आरोप है कि उन्होंने मिलकर 55 लाख रुपए का गबन किया। संतोष ने एक मृत कर्मचारी, गिरीश कुमार मिश्रा के खाते में 35 लाख रुपए ट्रांसफर किए। रीवा- मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बाणसागर परियोजना में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करने वाली महिला की जगह उसका पति काम करता रहा। इस दौरान उसने 55 लाख रुपए का घोटाला किया। उसने एक मृत कर्मचारी के खाते में 35 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रीवा पुलिस ने पति और पत्नी दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह घोटाला 3 साल तक चला।

बाणसागर परियोजना के तहत क्योंटी नहर संभाग में यह फर्जीवाड़ा हुआ। दुर्गेश गुप्ता नाम की महिला को कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर नौकरी मिली थी। लेकिन, उसकी जगह उसका पति संतोष गुप्ता काम करता था। यह बात विभाग को पता नहीं थी। संतोष गुप्ता कई सालों से यह काम कर रहा था। मई 2020 में परियोजना के एक कर्मचारी, गिरीश कुमार मिश्रा का निधन हो गया। उनके वेतन का 1.6 लाख रुपए बकाया था। लेकिन, संतोष गुप्ता ने फर्जी तरीके से 35.53 लाख रुपए मिश्रा के खाते में डलवा दिए। बाद में, उसने वह पैसा अपने

खाते में ट्रांसफर करवा लिया। यह सब विभाग की नजरों से छिपा रहा।

जब उच्च अधिकारियों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने जांच शुरू करवाई। रीवा कलेक्टर ने एक जांच समिति बनाई। जांच में घोटाले की पुष्टि हुई। इसके बाद, समान थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने संतोष गुप्ता और उसकी पत्नी दुर्गेश गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।साल 2019-20 के बीच में 36.94 लाख रुपए का गबन किया गया। इसी तरह, साल 2020-2021 में 18.43 लाख रुपए का अतिरिक्त गबन सामने आया। संतोष गुप्ता और दुर्गेश गुप्ता दोनों पर आरोप लगे हैं। जांच समिति ने पाया कि संतोष गुप्ता ने कई फर्जी बिल भी बनाए थे। उसने उन बिलों के आधार पर भी पैसे निकाले। इस तरह, उसने अलग-अलग तरीकों से विभाग को नुकसान पहुंचाया। यह मामला सामने आने के बाद, विभाग में हड़कंप मच गया है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घोटाले में और कौन-कौन शामिल है।

भ्रष्टाचार

भावलखेड़ा की वरनई ग्राम पंचायत में पहले से ही बने देवस्थानों का प्लास्टर कराकर दो लाख 60 हजार भुगतान

आर.सी.सी रोड पर इंटरलॉकिंग कराए जाने के नाम पर भी हुआ बड़ा भुगतान

स्वतंत्र प्रभात

शाहजहांपुर/जनपद के विकासखंड भावलखेड़ा की ग्राम पंचायत वरनई में कराए गए विकास कार्यों के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 1 से निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य ने मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर को प्रार्थना पत्र देते हुए जांच कमेटी गठित कर जांच कराए जाने की मांग की है , ग्राम पंचायत सदस्य देव कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत के नौगवा में राम सुरेश के मकान से देव कुमार के मकान तक आरसीसी रोड पड़ा है जो पूर्व विधायक अवधेश कुमार वर्मा के जमाने में डाला गया था , लेकिन इसी रोड पर ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान ने फर्जी इंटरलॉकिंग दिखाकर, करीब 3 लाख पचास हजार रुपया पेमेंट करा लिया है साथ ही शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत में 10 -20 स्ट्रीट लाइट लगाकर स्ट्रीट लाइट के नाम

पर दो लाख 86 हजार रुपए फर्जी पेमेंट का भी आरोप लगाया है शिकायतकर्ता ने कहा कि ग्राम पंचायत में 10 -20 घटिया क्वालिटी की स्ट्रीट लाइट लगाकर ग्राम प्रधान ने घोटाला किया है लगाई गई स्ट्रीट लाइट 2 महीने भी नहीं चली , साथ ही नौगवा में हरदेव राजा, और काकरिया बाबा स्थान निर्माण में, प्रधान पर बड़े घोटाले का आरोप लगा है शिकायतकर्ता ने बताया कि दोनों स्थान पहले से ही बने हुए थे जिन्हें गांव वालों ने चंदा सहयोग से बनवाया था प्रधान ने सिर्फ दोनों स्थानों पर फर्श कराई है और सरकारी रिकॉर्ड में स्थान बनवाने के नाम पर दो लाख 60 हजार रुपया पेमेंट करा लिया, शिकायतकर्ता ने पूर्व प्रधान के द्वारा बनवाए गए नाला निर्माण को दिखाकर ग्राम प्रधान द्वारा दो लाख 83 हजार रुपए निकालने का आरोप लगाया है और कहां है कि नाला पूर्व में ही बना हुआ था ग्राम प्रधान ने कहीं-कहीं पर प्लास्टर करा कर नए नाले का पेमेंट निकाल लिया है साथ ही कई जगह पुरानी नाली मरम्मत कराकर नई नाली का पेमेंट कराया गया है शिकायतकर्ता देव कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी से जिला स्तर की जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई की मांग की है फिलहाल शिकायत में सच्चाई कहां तक है यह जांच का विषय है इस संबंध में खंड विकास अधिकारी भावलखेड़ा से फोन संपर्क किया गया उनका फोन नहीं उठा ग्राम पंचायत सचिव मनीष यादव ने बताया की मैं अभी हाल ही में चार्ज लिया है मामला मेरे संज्ञान में नहीं है

आखिर न्यायपालिका को 'सुपर संसद' के रूप में काम करने की इजाजत किसने दी?

भारतीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका और समाजपालिका में पारस्परिक टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह जनहित में होना और दिखाई देना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से अपनी नाकामियों और चरित्रहीनता को छिपाने के लिए ये लोग संवैधानिक नियमों का दुरूपयोग कर रहे हैं, वह किसी वैचारिक त्रासदी से कम नहीं है। देश के प्रबुद्ध लोगों को इन संवैधानिक कमियों को पहचानना चाहिए और उसपर अविलंब लीगल सर्जिकल स्ट्राइक करने का दबाव भारतीय संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर बनाना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे, विधि-व्यवस्था को बनाए रखने और उसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सबको समान रूप से गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाएं मुहैय्या करवाने में हमारी संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों असफल साबित हुए हैं और इनके ऊलजलूल तर्कों से देश इस्लामिक चरमपंथियों के नापाक मंसूबों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है! राष्ट्रपति शासन, आरक्षण विवाद, भाषा विवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि सुलगते सवालों पर राष्ट्र का सही मार्गदर्शन करने में भी ये संस्थाएं विफल प्रतीत हो रही हैं। ऐसे में इनकी नकेल कसने के लिए भारतीय संविधान कभी कारगर साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह खुद साम्राज्यवादी मानसिकता वाले विरोधाभासों से भरा पड़ा है।

ऐसे में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की यह टिप्पणी वाजिब है कि न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय करने, और 'सुपर संसद' के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, इसलिए उन्होंने इस विषय को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जो उनके प्रबुद्ध होने का परिचायक है। देश के विश्वविद्यालयों और अन्य पेशेवर संगठनों को इन पर गौर फरमाते हुए आम राय कायम करने की जरूरत है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर 'परमाणु मिसाइल' नहीं दाग सकता!

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आरोप लगाया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है जो न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है। बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति देता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है और कहा है कि, 'हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका के काम करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है।'

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को कहा कि हाल ही में जूडिशरी के एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिये जाने की पनपी नई प्रवृत्ति पर ठीक ही सवाल किया कि हम किस दिशा में जा रहे है? हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की कभी उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। धनखड़ ने यह टिप्पणी राज्यसभा के ट्रेनीज को संबोधित करते हुए की। उन्होंने ठीक ही कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि यह निर्देश किस आधार पर दिए जा रहे हैं? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण पर कहा कि जब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो सरकार संसद के प्रति तथा चुनावों में जनता के प्रति जवाबदेह होती है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका फले-फूलें। किसी एक के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप चुनौती पैदा करता है, जो अच्छी बात नहीं है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने ठीक ही कहा कि अगर यह घटना आम आदमी के घर पर हुई होती, तो मामले में रॉकेट की रफ्तार से एफआईआर दर्ज की जाती। जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्र जांच या पूछताछ के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि किसी संस्था या व्यक्ति को पतन की ओर धकेलने का सबसे पुख्ता तरीका उसे जांच से सुरक्षा की पूर्ण गारंटी प्रदान करना है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली हाइकोर्ट के एक जज के घर मिले कथित कैश की ओर इशारा करते हुए उस पर लीपापोती की नाजायज प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए। धनखड़ ने दो टूक शब्दों में कहा कि हाई कोर्ट के एक जज के घर से मिले कैश से जुड़े मामले में एफआईआर न होना आमलोगों के सवालों के घेरे में है। इसलिए सवाल उठाया कि क्या 'कानून से परे एक श्रेणी' को अभियोजन से छूट है। उन्होंने ठीक ही कहा कि जूडिशरी की स्वतंत्र जांच या पूछताछ के खिलाफ किसी तरह का 'सुरक्षा कवच' नहीं है। एक पत्रकार के रूप मेरी भी व्यक्तिगत राय है कि न्यायिक भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक पुलिस और पत्रकारिता के भ्रष्टाचार की जांच के लिए मीडिया पुलिस का अविलंब गठन किया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को स्वनियमन बनाने और लागू करने की छूट नहीं दी जाए।

इसलिए यहां पर सवाल उठता है कि आखिर न्यायपालिका को 'सुपर संसद' के रूप में काम करने की इजाजत किसने दी? मेरा स्पष्ट मानना है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राप्त भारी जनसमर्थन का रणनीतिक दुरूपयोग किया, जिससे न्यायपालिका को विधायिका को दुरुस्त करने का मौका मिल गया, जो अनुचित नहीं है। किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदि को वोट बैंक के लिहाज से जनविरोधी या राष्ट्र विरोधी फैसले लिए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में मजबूत व स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है। लेकिन भ्रष्ट न्यायपालिका कतई नहीं! देश में फैला न्यायिक भ्रष्टाचार हमारी विधायिका की लगभग 8 दशकों की बड़ी लापरवाही है। वहीं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में भी विधायिका का परोक्ष रूप से हिस्सेदार बन जाने की प्रवृत्ति भी अस्वीकार्य है। सारे टकराव की वजह भी यही भ्रष्ट और अनैतिक आचरण है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय संविधान से नौंवी अनुसूची को हटाकर उसमें शामिल किए गए सभी विषयों की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, ताकि राजनीतिक मनमानी रूके। वहीं, भारतीय प्रशासन को भी जनहित के प्रति जिम्मेदार बनाए जाने की जरूरत है, अन्यथा उनकी लापरवाहियों के लिए स्पष्ट सजा व जुर्माना का प्रावधान हो, ताकि वो पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करने से बाज आएं। कहना न होगा कि देश में जारी राजनीतिक व प्रशासनिक पक्षपात के चलते ही देश में न्यायपालिका को सब पर भारी पड़ने का मौका मिल गया। विभिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन का दुरूपयोग, आरक्षण से जुड़े अभिजात्य वर्गों के हितों को अनैतिक संरक्षण, राष्ट्रपति दया याचिका का राजनीतिक प्रयोग तो महज बानगी हैं, जबकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां संसद ने बहुमत से अल्पमत को कुचला है और देशवासी पददलित हुए हैं। हालांकि, संविधान की नौंवीं अनुसूची के चलते वह भी कई विवादास्पद विषयों पर असहाय नजर आई। इसलिए वक्त का तकाजा है कि सबके व्यक्तिगत विशेषाधिकारों को खत्म कर आम आदमी के प्रति उन्हें जिम्मेदार बनाया जाये। यह काम लोकतांत्रिक दबाव समूह ही कर सकते हैं, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने पेशेवर विशेषाधिकार को आसानी से छोड़ेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता!

देश में समाप्त होने के कगार पर पहुंचा नक्सलवाद

पिछले छः दशकों से देश में नासूर बनकर उभरा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्री द्वारा की गई यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। गत 60 वर्षो से देश नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई सरकारें आई और चली गई मगर नक्सलवाद का नासूर दिनों-दिन बढ़ता ही रहा था। देश के कई प्रदेशों में तो बहुत बड़े हिस्से में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार तक चलाते थे। नक्सलवाद प्रभावित जिलों में उनकी हुकूमत चलती थी। वहां केंद्र व राज्य सरकार का कोई असर नहीं दिखता था। नक्सलियों का फरमान ही अंतिम आदेश होता था जिसे लोग मानने को मजबूर थे।

मगर अब परिस्थितियों पूरी तरह बदल चुकी है। केंद्र सरकार की नक्सलवाद से मुक्ति के अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है। कई बड़े-बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनो कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दिया है। शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर रोशनी डालते हुए और सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा था कि मोदी सरकार सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ रुख के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 6 हो गई है। साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में अब छत्तीसगढ़ में चार जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला व महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला शामिल है। इसके अतिरिक्त चिंता के जिलों की संख्या जिन्हें गहन संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है 9 से घटकर 6 रह गई है। ये जिले आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना में भद्राद्री-कोठागुडेम हैं।

अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या जो नक्सली गतिविधि का भी सामना कर रहे हैं लेकिन कम हद तक 17 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल हैं। इन जिलों को उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये मिलते हैं। जबकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए चिंता वाले जिलों को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप विशेष परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में कम से कम 130 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 110 से ज्यादा बस्तर संभाग में मारे गए जिसमें बीजापुर और कांकेर समेत सात जिले शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2025 में अब तक 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इससे पहले वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 जिले नक्सलप्रभावित थे लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकड़ा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था।

पिछले 20 वर्षों में 2,344 सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6,258 लोग मारे गए हैं। जब देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी थे। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले एक लाल गलियारे के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था।

सरकार एक तरफ जहां नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्सलवाद जिसे अर्बन नक्सलवाद भी कहा जाता है तेजी से उभर रहा है। यह पारंपरिक ग्रामीण नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरों और शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें शिक्षाविद, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हैं। वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माध्यमों से अपनी विचारधारा फैलाते हैं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष को भड़काते हैं।

देश में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के समग्र प्रयासों का असर दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी हो रही है। सरकार ने नक्सलवाद-मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश में वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आना इस आंदोलन की समाप्ति के संकेत है।

नक्सलवादी आंदोलनकारियों ने अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने भी नक्सलवादी विरोधी अभियान में अपनी शहादत दी है। एक समय था जब देश के 10 प्रांतो में नक्सलवादियों की तूती बोलती थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला कर दिया था। जगदलपुर में तो नक्सलवादियों ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की हत्या कर सनसनी फैला दी थी।

मगर अब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण एक तरफ जहां इन पर दबाव बढ़ा है वहीं उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार ने विकास की योजनाएं प्रारंभ कर उनका जन समर्थन समाप्त कर दिया है। कई बड़े नक्सली कमांडरो का एनकाउंटर होने के बाद डर कर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जिससे आने वाले समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व्याप्त होगी। जो सरकार व आमजन की एक बड़ी जीत होगी।

संपादकीय

समझदारी- एक पेंडिंग अपडेट जो कभी डाउनलोड नहीं होती

[समझदारी आई ही नहीं — उम्र अकेली ही चली आई]

कहते हैं उम्र के साथ समझदारी आती है। लेकिन हमारे यहाँ उम्र सिर्फ़ चश्मे का नंबर, बालों की सफेदी और घुटनों का दर्द लाती है। समझदारी? वो तो बचपन में ही किसी सरकारी योजना की तरह "लॉन्च" होकर गायब हो जाती है। जिम्मेदारी और उम्र का रिश्ता भी अजीब है–कभी दोनों गलबहियाँ डालकर चलते हैं, कभी एक-दूसरे से आँखें चुराते हैं। और इस आँख-मिचौली में जिंदगी बस तमाशबीन बनी तालियाँ बजाती रहती है। ज़रा गुड्डू को देखिए। चौदह साल की उम्र, लेकिन जिंदगी का टाइमटेबल किसी ग्लोबल कंपनी के सीईओ को भी मात दे। सुबह साइकिल पर अखबार बाँटता है, मानो हाई-स्पीड डिलीवरी ड्रोन पर सवार हो, दिन में स्कूल की बेंच घिसता है, , जहाँ टीचर "पढ़ाई करो, जिम्मेदार बनो"का प्रवचन देते हैं और रात को माँ का सिर दबाकर सुलाता है, जैसे 24×7 स्टार्टअप का वन-मैन-आर्मी हो, क्योंकि "बाबूजी ने तो कब का फोन स्विच ऑफ कर लिया"। पूछो तो मासूमियत से कहेगा, "जिम्मेदारी ने पकड़ लिया, भैया।" मानो जिम्मेदारी कोई पुलिसवाला हो, जो बिना वारंट धर दबोच ले। गुड्डू की उम्र में बच्चे जहाँ पबजी खेलते हैं, वहाँ ये जिंदगी का "सर्वाइवल मोड" खेल रहा है।

अब दूसरी तरफ हैं हमारे प्रदीप चाचाजी। उम्र 60 पार, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड, पेंशन की गंगा बह रही है। लेकिन जिम्मेदारी? वो तो उनके लिए ÷अननोन कॉलर÷ है, जिसे वो बार-बार रिजेक्ट कर देते हैं। गैस सिलेंडर बुक करना हो तो बीवी को पुकारते हैं–÷सुनो, वो मोबाइल में कुछ कर दो न!÷ यूपीआई, ओटीपी, ऑनलाइन बिल पेमेंट–ये सब उनके लिए एलियन टेक्नोलॉजी है। लेकिन फेसबुक? वहाँ सुबह 6÷30 बजे ÷गुड मॉर्निंग÷ के साथ गुलाब की फोटो और ÷ज़िंदगी दो पल की, जी लो÷ वाला स्टेटस डालने में पीएचडी कर रखी है। व्हाट्सएप पर ÷फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स÷ वाले मैसेज की स्पीड देखकर तो लगता है, चाचाजी 5जी नेटवर्क पर चल रहे हैं। जिम्मेदारी इनके दरवाजे तक दस्तक देती है, पर चाचाजी "नॉट होम" का बोर्ड लगाकर अखबार फड़फड़ाते हुए चाय की चुस्कियाँ लेते रहते हैं। यहाँ जिम्मेदारी भी तो ऑनलाइन शॉपिंग की तरह है। किसी को बिना ऑर्डर किए ही थमा दी जाती है, जैसे गुड्डू को। और किसी को बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी "आउट ऑफ स्टॉक" का मैसेज मिलता है, जैसे चाचाजी को। छोटे बच्चों को देखकर जिम्मेदारी का दिल पसीज जाता है–"लो, तुम ही संभाल लो ये बोझ, तुम्हारे बाप-दादा तो रील्स बनाने में व्यस्त हैं।" और कुछ बुजुर्गों को देखकर वो शर्म से पानी-पानी हो जाती है–"इतने साल हो गए, अब भी नहीं संभाल सकते? ठीक है, बच्चों को ही दे देते हैं।" ये जिम्मेदारी भी न, व्यक्ति देखकर आती है। कुछ को गले का हार बनकर गले पड़ती है, और कुछ के लिए वो "रिटर्न पॉलिसी" वाला पैकेज है, जिसे वो तुरंत डिलीवरी बॉय को लौटा देते हैं।

हमारे देश में दो ही चीज़ें टाइम से पहले आती हैं–बालों में सफेदी और जिम्मेदारी। बाकी सब तो सरकारी स्कीम की तरह–घोषणा जोर-शोर से, डिलीवरी अगले जन्म में। लोग जिम्मेदारी से ऐसे भागते हैं जैसे रिश्तेदार की शादी में "नेग" देने से। "अरे, अब इस उम्र में क्या!" मानो जिम्मेदारी कोई फिटनेस चैलेंज हो और उम्र उनका मेडिकल सर्टिफिकेट। कुछ लोग तो जिम्मेदारी को देखकर वैसे ही मुकर जाते हैं, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर का सामान देखकर–"ये तो माँगा ही नहीं था!"

जिम्मेदारी के भी अपने टाइप हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ "डिज़र्व" की जाती हैं, जैसे गुड्डू अपनी माँ की देखभाल करता है। कुछ को "डेलिगेट" कर दिया जाता है, जैसे चाचाजी सारा काम बीवी पर डाल देते हैं। और कुछ तो जिम्मेदारी को कचरे की पेटी में डंप करने के चैंपियन हैं, जैसे वो पड़ोसी, जो मोहल्ले की मीटिंग में बड़े-बड़े वादे करते हैं, मगर सफाई अभियान का वक्त आए तो "बुखार चढ़ गया" का बहाना मारकर गायब हो जाते हैं।

समाज में जिम्मेदारी का बोझ भी अजीब तरह से बँटता है। बच्चों को स्कूल बैग के साथ-साथ घर का बोझ भी ढोना पड़ता है। जवानों को नौकरी, शादी, बच्चों की परवरिश–सब एक साथ संभालना पड़ता है। और बुजुर्ग? वो तो "हमने तो अपना समय देख लिया" कहकर पार्क में टहलने निकल लेते हैं। फिर भी दुनिया कहती है, ÷उम्र के साथ समझदारी आती है।" अरे भाई, यहाँ उम्र के साथ सिर्फ़ हड्डियों का दर्द, आँखों का धुंधलापन और "वो पुरानी बात याद नहीं आ रही" वाला बहाना आता है। जिम्मेदारी निभाने की नीयत? वो तो जन्मकुंडली में ही नहीं लिखी होती। और सबसे मज़ेदार बात? जिम्मेदारी से भागने वाले लोग दूसरों को "जिम्मेदार बनो" का प्रवचन देने में सबसे आगे होते हैं। जैसे चाचाजी, जो गैस सिलेंडर बुक करना नहीं जानते, लेकिन मोहल्ले के बच्चों को "आजकल की पीढ़ी बेकार है" का लेक्चर देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। या वो पिताजी, जो बेटे को "कमाओ, घर चलाओ÷ का मंत्र देते हैं, लेकिन बिजली का बिल जमा करने की बात आए तो "बेटा, तुम्हीं देख लो, हमें तो ये ऑनलाइन सिस्टम समझ नहीं आता।"

जिम्मेदारी और उम्र का ये खेल बड़ा विचित्र है। कुछ लोग इस बोझ को गर्व से ढोते हैं, जैसे गुड्डू, जो अपनी छोटी सी उम्र में परिवार का सहारा बना है। और कुछ लोग इसे फुटबॉल की तरह ठोकर मारते रहते हैं, जैसे चाचाजी, जिनके लिए जिंदगी अब बस चाय की चुस्कियों और फेसबुक स्टेटस तक सिमट गई है। लेकिन सच कहें, जिम्मेदारी कोई उम्र देखकर नहीं आती। वो तो बस मौका देखकर टपक पड़ती है, और फिर आप चाहे चौदह साल के हों या साठ के, आपको उसका सामना करना ही पड़ता है। तो अगली बार जब कोई कहे, "उम्र के साथ समझदारी आती है," तो बस मुस्कुरा दीजिए। क्योंकि यहाँ समझदारी नहीं, सिर्फ़ जिम्मेदारी का जाल आता है, जिसमें फँसने या निकलने का हुनर ही असली समझदारी है।

हंसराज चौरसिया

भड़कने का संवैधानिक अधिकार आपको भीभड़कने का संवैधानिक अधिकार आपको भी

देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ को भड़कता देख कभी-कभी मेरा मन भी भड़कने का करता है ,लेकिन सवाल ये है कि मैं आखिर भड़कूं तो किसके ऊपर भड़कूं ? संविधान ने भड़कने का अधिकार सभी को दिया है ,इसीलिए धनकड़ साहब भी भड़क रहे हैं और ममता बनर्जी भी। योगी आदित्यनाथ भी भड़क रहे हैं और तमाम दूसरे लोग भी। अब आप सोचिये कि यदि संविधान ने आम आदमी को भड़कने का अधिकार न दिया होता तो क्या धनकड़ साहब देश की सबसे बड़ी अदालत के किसी फैसले पर भड़क सकते थे ?

धनकड़ साहब उप राष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के राज्यपाल थे। उन्होंने भड़कना तभी से सीखा। वे जब बंगाल में राज्यपाल थे तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिन-रात भड़का करते थे। उन्हें लगता था कि राज्यपाल का काम केवल और केवल राज्य की सरकार पर भड़कना होता है। धनकड़ साहब हालाँकि वकील हैं, उन्होंने क़ानून पढ़ा है किन्तु जब वे कुर्सी पर होते हैं तो क़ानून-वानून भूल जाते हैं। उप राजयपाल के रूप में भी और राज्य सभा के सभापति के रूप में भी उन्हें भड़कने के अलावा और कुछ याद नहीं रहता। वे विपक्ष कि ऊपर लगातार बरसते हैं बेमौसम बरसात की तरह।

धनकड़ साहबआजकल सुप्रीम कोर्ट पर भड़क रहे हैं। संविधान पर भड़क रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समयसीमा तय किये जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भड़क गए है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते, जहां अदालतें भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें. उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। धनकड़ साहब भूल जाते हैं की यदि हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ न्यूक्लियर मिसाइल न दिए होते तो ये देश कब का हिन्दू राष्ट्र बन गया होता।

कभी-कभी मुझे लगता है कि इस देश में संविधान को हमारे नेता एक कमसिन लड़की से ज्यादा नहीं समझते और जैसे ही उन्हें मौक़ा मिलता है वे इसे छेड़ बैठते हैं। संविधान से छेड़छाड़ इसके बनने से लेकर आजतक जारी है और जब भी किसी दल को अखंड या प्रचंड बहुमत मिलेगा संविधना के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। अब तक संविधान से छेड़छाड़ की कोई 106 घटनाएं हो चुकी है। कानून की शब्दावली में संविधान से छेड़छाड़ को 'संशोधन' कहा जाता है। कांग्रेस ने चूंकि देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया है इसलिए संविधान से छेड़छाड़ की वारदातें सबसे ज्यादा कांग्रेस के समय में हुई हैं। भाजपा को अभी सत्ता में आये ग्यारहवां साल है इसलिए उसने संविधान के साथ छेड़छाड़ में अभी कांग्रेस का कीर्तिमान तोड़ नहीं पाया है ,हालाँकि भाजपा ने संविधान के साथ सबसे बड़ी छेड़छाड़ अनुच्छेद 370 को हटाकर की है। आप अन्यथा न लें तो हकीकत ये है कि संविधान कलिकाल में एक द्रोपदी है। ऐसी निरीह द्रोपदी का चीरहरण करने का दुस्साहस कोई भी कर लेता है। जरूरत सिर्फ हाथ में सत्ता और सत्ता में भी अखंड,प्रचंड बहुमत का होना है। देश का सुप्रीम कोर्ट जब तब संविधान की द्रोपदी का चीरहरण रोकने के लिए कृष्ण की भूमिका में आता है तो धनकड़ जैसी पुण्य आत्माएं सुप्रीम कोर्ट पर भड़क उठतीं हैं, लेकिन वे उस समय शांत रहतीं हैं जब सुप्रीम कोर्ट सत्ता प्रतिष्ठान के मन माफिक फैसले करता है या निर्देश देता है।

जहाँ तक मेरा ज्ञान है उसके मुताबिक धनकड़ साहब को सुप्रीम कोर्ट पर भड़कने का कोई नैतिक अधिकार है नहीं। वे जिस पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा है। उन्हें अपने पूर्ववर्ती उप राष्ट्रपतियों से इस मर्यादा का पाठ सीखना चाहिए ,लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। ,क्योंकि धनकड़ साहब अपने आपको भाजपा का देवतुल्य कार्यकर्ता जो मानते हैं [जबकि वे हैं नहीं] धनकड़ साहब कभी आरएसएस की शाखा में प्रशिक्षण लेने नहीं गये । भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने घाट-घाट का पानी पिया है ,किन्तु आज वे भाजपा के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता है। कोर्ट हो या कोई और जैसे ही भाजपा के खिलाफ कोई टिपण्णी करता है सबसे पहले उदरशूल धनकड़ साहब के पेट में होता है। मुमकिन है कि धनकड़ साहब आजकल में ही सुप्रीम कोर्ट को नए वक्फ क़ानून पर दिए जाने वाले फैसले के लिए भी कोसने लगें।

सुप्रीम कोर्ट पर भड़कने वाले धनकड़ साहब देश को बता रहे हैं कि "भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं,

जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं. हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। "धनकड़ साहब भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति का पद सचमुच बहुत ऊंचा है किन्तु उसे सचमुच इतना छोटा कर दिया गया है ,क्योंकि राष्ट्रपति अब देश के प्रधानमंत्री को केवल दही- मिश्री खिलाने के अलावा कोई काम नहीं करता/करती है ,संविधान की रक्षा,संरक्षण या बचाव नहीं। राष्ट्रपति ने अपनी भूमिका खुद ही बदल ली है।

बहरहाल मैं माननीय धनकड़ साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें पल-पल होने वाले उदरशूल से मुक्ति दिलाये। धनकड़ साहब उदरशूल से पीड़ित अकेले व्यक्ति नहीं हैं। बहुत से लोग हैं उनकी तरह। लेकिन निसे उदरशूल होना चाहिए वो कभी अपना मुंह नहीं खोलता । न मणिपुर पर ,न बंगाल पर ,न अमेरिका पर ,न चीन पर। उसने बोलना छोड़ ही दिया है जैसे/वो केवल अपने मन की करता है या फिर मन की बात करता है। इस प्रवृत्ति को देशज भाषा में मनमानी भी कहते हैं।

राकेश अचल

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**–उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 –9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

राष्ट्रपति द्वारा कमिश्नरेट प्रयागराज के आंकिक शाखा में नियुक्त निरीक्षक(लेखा) सुशील कुमार शर्मा को सम्मानित किया

राष्ट्रपति द्वारा कमिश्नरेट प्रयागराज के आंकिक शाखा में नियुक्त निरीक्षक(लेखा) सुशील कुमार शर्मा को उनके द्वारा विभाग में दीर्घ एवं सराहनीय सेवा के निमित्त प्रदत्त पदक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज तरुण गाबा द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया।

नोएडा में साइड नहीं देने पर कार सवार दो आरोपियों ने मारी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा की थाना सेक्टर-63 पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सड़क पर मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति के साथ गाली-गलौज की और उसके सिर में गोली मार दी। यह घटना शुक्रवार को सामने आई, जब पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार दो अज्ञात युवकों ने पीड़ित के गांव के एक व्यक्ति से साइड नहीं देने को लेकर झगड़ा किया। इसके बाद देखते ही देखते गोली चला दी। इस वारदात में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर थाना सेक्टर-63 पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया।

घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फॉर्च्यूनर वाहन को ट्रेस किया। जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों की पहचान की। इनमें विकास कुमार बुलंदशहर का मूल निवासी है, जो फिलहाल नोएडा के सेक्टर-71 में रहता है। वहीं, ललित कुमार अंबेडकरनगर के मालीपुर थाना के खालिसपुर भटोनी का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक लाइसेंसी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक लाइसेंस बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि सेक्टर-63 इलाके में यह घटना हुई थी और इसमें शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित की हालत स्थिर बनी हुई है। दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है।

आगरा में करणी सेना की जनसभा, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

आगरा। सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले आज आगरा में राणा सांगा जयंती के अवसर पर आयोजित रैली को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। यह कार्यक्रम 'क्षत्रिय सम्मान' विषय पर केंद्रित होगा, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में हाल ही में दिए गए विवादास्पद बयान के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सभा की तैयारी के लिए, अपेक्षित भीड़ को समायोजित करने के लिए लगभग 50,000 वर्ग मीटर कृषि भूमि को साफ कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, उपस्थित लोगों से कहा गया है कि वे अपने साथ झंडे और लाठी लेकर आएं। पुलिस ने तीन स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की है और उन लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने पहले सोशल मीडिया पर राणा सांगा के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां की थीं।सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए आगरा पुलिस ने अनुमति दे दी है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। गुरुवार को करणी सेना और क्षत्रिय समुदाय के सदस्यों ने रामी गढ़ी गांव में भूमि पूजन समारोह किया, जो आगामी समागम के लिए उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तैयारी का प्रतीक था। यह रैली सपा सांसद रामजीलाल सुमन की हालिया संसद सत्र के दौरान की गई टिप्पणी से उठे विवाद के कुछ सप्ताह बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था, "अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था।"उनकी टिप्पणी से राजपूत समुदाय में आक्रोश फैल गया और भाजपा नेताओं, करणी सेना और विभिन्न हिंदू संगठनों ने सुमन पर राजपूत गौरव और हिंदू भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया।

फतेहपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता का दावा है कि मस्जिद 1976 से मौजूद है और उसे ध्वस्त करने का आदेश अनुचित है. अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 23 मई को निर्धारित की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को फतेहपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के डीएम के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक डीएम के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में काउंटर एफिडेविट मांगा है. उसके अगले दो हफ्ते के अंदर याची से रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए कहा है. याचिका में डीएम द्वारा 22 अगस्त 2024 को पारित ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी गई है. अब इस मामले में 23 मई को सुनवाई होगी।

हाई कोर्ट में वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली की ओर से याचिका दाखिल की गई है. इस पर शुक्रवार को जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट फरमान अहमद नकवी ने पक्ष रखा. सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे एन मौर्य ने दलीलें दी. याची का कहना है कि 1976 में ग्राम सभा मलवा द्वारा दी गई तीन बिस्वा जमीन पर मस्जिद बनी हुई है।

अब तक उस आदेश पर कोई अमल नहीं हुआ

याची का कहना है कि यह जमीन अब तालाब की भूमि बताई जा रही है. इसी जमीन के एक हिस्से में 6-7 अन्य लोग काबिज हैं, जिन्हें

2021 में हटाने का आदेश हुआ है. मगर, अब तक उस आदेश पर कोई अमल नहीं हुआ है. जबकि जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है, 26 दिन में सभी कार्यवाही पूरी कर ली गई है. मस्जिद कमेटी को पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया।

डीएम ने अपील खारिज कर आदेश दे दिया

उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने तालाब की जमीन बताते हुए नोटिस जारी किया. इसके खिलाफ डीएम के समक्ष मस्जिद कमेटी ने अपील दाखिल की. डीएम ने अपील खारिज करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया है. डीएम के इसी ध्वस्तीकरण के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। शादियों से जुड़े एक अन्य मामले में भी हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हिंदू महिला और पुरुष की आर्य समाज मंदिर में अगर वैदिक रीति रिवाज से शादी हुई है तो हिंदू विवाह अधिनियम-1955 के तहत वैध है. शादी की जगह मंदिर हो, घर हो या खुली जगह, ये मायने नहीं रखता. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने एक वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें बरेली के हफीजगंज पुलिस थाने में दर्ज दहेज की मांग के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

पीसीएफ केंद्र बंद होने से दर-दर भटकने को विवश किसान

कछौना, हरदोई। विकासखंड कछौना में नगर के रेलवे स्टेशन के पास उपभोक्ता संघ भवन में कई वर्षो से पीसीएफ केंद्र बंद होने के कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। जिसके करण खाद बीज के लिए किसान दर-दर भटकने को विवश है।बतातें चलें विकासखंड कछौना के कस्बा के रेलवेगंज में उपभोक्ता संघ भवन में पीसीएफ केंद्र संचालित था। जिससे किसानों को उनकी उपज धान गेहूं खरीद के लिए केंद्र बनने से उनकी उपज का सही मूल्य मिल जाता था। यह उपभोक्ता संघ भवन किराए पर चल रहा था। उपभोक्ता संघ भवन काफी जर्जर हो गया है। मोहल्ले का पूरा पानी इस परिसर में आने से हमेशा जल भराव बना रहता है। परिसर में झाड़ी होने के कारण कीड़े मकोड़े बने रहते हैं। इस परिसर में शौचालय भी जर्जर हो गया है। बाउंड्री की दीवार टूट चुकी है। जिसके कारण वहां छुट्टा जानवर बने रहते हैं। लाखों रुपए की कीमत का तैयार भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इस भवन परिसर में स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा भी कर लिया है। एक व्यक्ति ने कई कमरों का आवास भी बना लिया है। जिम्मेदार नुमाइंदे आंख बंद किए हैं। सरकारी कर्मचारी ने इस केंद्र तक ट्रक न पहुंचने का कारण बताकर इस केंद्र को 3 वर्ष पूर्व बंद करा दिया, जबकि थोड़ा प्रयास करके रास्ता सही करा दिया होता, तब आसानी से केंद्र तक वाहन पहुंच सकते थे। वर्तमान समय में विकासखंड कछौना में चार साधन सहकारी समितियां सक्रिय हैं, काफी संख्या में किसान खाद बीज खरीद केंद्र न होने के कारण दर-दर भटकने को विवश हैं। इस केंद्र को शीघ्र चालू कराने की मांग मण्डल अध्यक्ष भाजपा नवीन पटेल ने शासन प्रशासन से की।

कार्यालय ग्राम पंचायत बेहटा वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 19/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत कौड़ियामऊ विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 20 /04/2025 से 30/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है- ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के, हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट, इंटरलॉकिंग टाइल्स, पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी, मेज, अलमारी, ई रिक्शा, सफाई सामग्री, एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्ते लागू – टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
राम किशोर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
अंकित पटेल
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत बेहटा वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 19/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत बेहटा विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 20 /04/2025 से 30/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है- ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के ,हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी, मेज, अलमारी, ई रिक्शा, सफाई सामग्री ,एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्ते लागू – टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
विनीता जायसवाल
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
अंकित पटेल
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम मानपुर लाला अचरामऊ वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 19/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत अचरामऊ विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 20 /04/2025 से 30/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है- ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के ,हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट, इंटरलॉकिंग टाइल्स, पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी, मेज, अलमारी, ई रिक्शा, सफाई सामग्री, एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू – टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
महेंद्र कुमार
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
अंकित पटेल
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत अचरामऊ वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 19/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत मानपुर लाला विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 20 /04/2025 से 30/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है- ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के, हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट, इंटरलॉकिंग टाइल्स, पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी, मेज, अलमारी, ई रिक्शा, सफाई सामग्री, एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू – टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
मोहम्मद अरशद
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
अंकित पटेल
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत महिंगवा वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 19/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत महिंगवा विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 20 /04/2025 से 30/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है- ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40, बालू, लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के, हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी,मेज, अलमारी, ई रिक्शा, सफाई सामग्री, एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्ते लागू- टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
पुष्पा देवी
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
शैलेंद्र वर्मा
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत रेवामऊ वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 19/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत रेवामऊ विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 20 /04/2025 से 30/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है- ईट प्रथम, द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड, वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के, हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट, इंटरलॉकिंग टाइल्स,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी, मेज, अलमारी, ई रिक्शा, सफाई सामग्री, एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू – टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
पूजा सिंह
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
शैलेंद्र वर्मा
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत सुवंशीपुर वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 19/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत सुवंशीपुर विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 20 /04/2025 से 30/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है- ईट प्रथम, द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40, बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के, हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी, मेज,अलमारी, ई रिक्शा, सफाई सामग्री, एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू- टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
रामविलास
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
शैलेंद्र वर्मा
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत करौंदी वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 19/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत करौंदी विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 20 /04/2025 से 30/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है- ईट प्रथम, द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट, स्टोन ग्रेट 20 40, बालू , लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के, हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी, मेज, अलमारी, ई रिक्शा , सफाई सामग्री ,एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू- टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
लालमनी
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
राजेंद्र कुमार
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

संक्षिप्त खबरें

उसका बाजार गेहूं क्रय केंद्र पर लक्ष्य के सापेक्ष खरीद कम

सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दो हजार चार सौ पच्चीस रुपया निर्धारित किया गया है। कस्बा में स्थित खाद्य विभाग की विपणन शाखा उसका बाजार पर सोलह हजार कुंतल गेहूं खरीद के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक सिर्फ 575 कुंतल गेहूं की खरीदारी हुई है। राजकीय गेहूं क्रय केंद्र उसका बाजार के प्रभारी विपणन निरीक्षक मायापति मिश्र ने बताया कि गेहूं खरीद इस समय चल रहा है। सुबह 8 बजे से शाम तक किसान अपना गेहूं क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए ला सकते है। गेहूं का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य किसान के खाते में पीएफएमएस द्वारा भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि खरीद लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए गांवों में किसानों से सीधे संपर्क किया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि बाजार मूल्य गेहूं का, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है। इसलिए सरकारी क्रय केंद्रों पर आवक कम है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार छठे हफ्ते बढ़ा

मुंबई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में 1.57 बिलियन डॉलर बढ़कर 677.84 बिलियन डॉलर हो गया है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों में दी गई। यह लगातार छठवां हफ्ता है, जब विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़त देखी गई है। इससे पहले 4 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 10.8 बिलियन डॉलर बढ़कर 676.3 बिलियन डॉलर हो गया है। समीक्षा अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुख घटकों में से एक विदेशी मुद्रा आस्तियों की वैल्यू 892 मिलियन डॉलर बढ़कर 574.98 बिलियन डॉलर हो गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों में अमेरिकी डॉलर के साथ यूरो, पाउंड और येन को भी शामिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार के एक अन्य अहम घटक गोल्ड की वैल्यू 638 मिलियन डॉलर बढ़कर 79.99 बिलियन डॉलर हो गई है। हफ्ते के दौरान, वैश्विक अनिश्चितता के चलते गोल्ड को बड़ी मात्रा में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों की ओर से खरीदा गया है। आरबीआई ने बताया कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) की वैल्यू 6 मिलियन डॉलर घटकर 18.356 बिलियन डॉलर रह गई है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की रिजर्व पॉजिशन की वैल्यू 43 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.5 बिलियन डॉलर हो गई है। बीते वर्ष सितंबर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर ऑल-टाइम हाई 704.885 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती मिलती है जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण डॉलर के मुकाबले रुपये में तेजी देखी गई है। फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपये 85.39 पर है, जो कि फरवरी में 88 के करीब था। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से केंद्रीय बैंक को डॉलर के मुकाबले स्थिर रखने में मदद मिलती है।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने (शुक्रवार) को जुमा की नमाज के अवसर पर मस्जिदों एवं संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का लिया जायजा

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी एवं पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ (शुक्रवार) को जुमा की नमाज के अवसर पर जनपद की विभिन्न मस्जिदों में नमाज को सकुशल सम्पन्न कराए जाने एवं समसामयिक प्रकरणों के दृष्टिगत को देखते हुए जनपद के संवेदनशील स्थानों/मस्जिदों पर भ्रमण कर जनपद में शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में नियुक्त पुलिसकर्मियों को चेक किया गया। एवं ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को मुस्तैद व सजग रहकर ड्यूटी करने हेतु मार्गदर्शन किया गया एवं नमाज को सकुशल सम्पन्न कराया गया। नमाज को सकुशल सम्पन्न कराने एवं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने हेतु संवेदनशील स्थानों पर लागतार ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गयी।

समस्तीपुर में 'महिला संवाद' अभियान की शुरुआत, 27 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर डीएम ने किया रवाना

स्वतंत्र प्रभात

समस्तीपुर में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने शुक्रवार को 'महिला संवाद' अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस दौरान डीएम रोशन कुशवाहा ने 27 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीडीसी संदीप शेखर प्रियदर्शी, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका विक्रांत शंकर सिंह, डीपीआरओ रजनीश कुमार राय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

इस मौके पर डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता के लिए स्क्रीन युक्त 27 जागरूकता वाहन रवाना किया गया है। इसके माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं से जुड़े कार्य के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार काम कर रही है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में माइक्रो प्लांट के तहत काम होगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में प्रतिदिन 54 स्थानों पर महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। अगले 60 दिनों में इस अभियान के तहत पूरे जिले में 3240 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खास बात यह है किये प्रचार वाहन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और वहां की महिलाओं से संवाद स्थापित करेंगे।

डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि इस संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं को अपने परिवार और गांव की समस्याओं पहचानने और उनके समाधान के लिए सरकार के प्रयास को जानने का मौका देगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं और सामुदायिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। बताया गया है कि महिला संवाद के तहत महिला सशक्तिकरण नीति 2015, शराबबंदी, आरक्षण, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना, जीविका जैसी अनेक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यह अभियान न सिर्फ महिलाओं को जानकारी देने का माध्यम बनेगा, बल्कि उन्हें अपनी सामाजिक भूमिका और अधिकारों के प्रति जागरूक कर सशक्त समाज की नींव रखने में मदद करेगा।

बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा, '1971 की ज्यादती के लिए मांगे सार्वजनिक माफी, दे मुआवजा'

स्वतंत्र प्रभात

ढाका। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगालियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी मांगने को कहा है। इतना ही नहीं उसने पाकिस्तान की परिसंपत्तियों में अपना हिस्सा मांगते हुए इस्लामाबाद से बांग्लादेश को बकाया 4.5 अरब डॉलर का मुआवजा अदा करने को भी कहा है। इसमें 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश छोड़ने में असमर्थ फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी और 1970 के चक्रवात भोला में मिली विदेशी मदद के पैसे की बात भी शामिल थी। 4.3 अरब डॉलर के मुआवजे में इसमें अविभाजित पाकिस्तान की 1971 से पहले की परिसंपत्तियों में से उसका हिस्सा शामिल है, जिसमें सहायता राशि, भविष्य निधि और बचत साधन शामिल हैं।

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बैठक हुई में बांग्लादेश ने कई पुराने और संवेदनशील मुद्दे उठाए। ऑपरेशन सर्चलाइट का भी जिक्र था जिसमें, पाकिस्तानी सेना ने अनुमानित 30 लाख बंगालियों को मार डाला और दस लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया।

पाकिस्तान के साथ खूनी युद्ध के बाद 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने 1970 के भोला चक्रवात के बाद बांग्लादेश को विदेशी सहायता में 200 मिलियन डॉलर का अपना हिस्सा आवंटित नहीं किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 1970 का चक्रवात भोला दुनिया का सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने वर्तमान बांग्लादेश में पांच लाख लोगों की जान ले ली थी। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारे संबंधों की ठोस नींव रखने के लिए इन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।"

बांग्लादेश और पाकिस्तान ने गुरुवार को पद्मा स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित किया। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन और पाकिस्तान के समकक्ष आमना बलूच ने एफओसी में अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

जशीम उद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार 27-28 अप्रैल को बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ानें जल्द ही शुरू की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बलूच ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी अलग-अलग मुलाकात की और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की।

सिलापथार दक्षिण भैरव पुर में भयंकर दूरसाहसिक क्रिया पदर्शन के साथ हरगौरी के चढ़क पूजा संपन्न

● निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर सम्पन्न

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। ललित कला अकादमी के स्वच्छ एवं मनोरम प्रकृति गोद में कालका गढ़ी गांव का 283 वाँ स्थापना दिवस आगंतुकों के आकर्षण एवं कौतूहलता का केंद्र रहा। कालका गढ़ी विकास परिषद के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह का प्रकृति एवं अपने ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति गहरे लगाव का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। वर्ष 2000 से वह लगातार कालका गढ़ी गांव का स्थापना दिवस हवन, वृक्षारोपण एवं प्रसाद वितरण के रूप में करते आ रहे हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली की संसद बांसुरी स्वराज, कस्तूरबा नगर के विधायक नीरज बसोया,पूर्व विधायक मदनलाल,आईपीएस उदय सहाय आईआरएस सुनीता बैसला के अलावा अनेक गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर इस स्थापना दिवस की शोभा बढ़ाई। लोगों ने परिषद के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह की भूरि भूरि प्रशंसा की जिन्हें प्राकृतिक पर्यावरण एवं अपने गांव के इतिहास से इतना गहरा लगाव है। धर्मवीर सिंह का यह प्रयास सिर्फ कालका गढ़ी गांव की स्थापना की परिधि को पार कर उन गांव के लिए भी अनुकरणीय एवं प्रेरणादाई बन गया है जहां स्थापना दिवस नहीं मनाई जाते। यह विचार अपने आप में लोगों के लिए कोतुहलता का विषय बना रहा जिसमें धर्मवीर सिंह जैसे समाजसेवी,प्रकृति प्रेमी और अपने पौराणिक इतिहास के प्रति इतना अनुराग देखने को मिल रहा है। इस स्थापना दिवस पर कालका गढ़ी गांव एवं अन्य कई जगह से गणमान्य लोग उपस्थित हुए तथा इन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी पूरी अभिरुचि दिखाई यह अपने आप में एक अलग तरह का अवसर था जिसमें लोगों ने धर्मवीर सिंह के प्रयासों को अन्य गांव में प्रचारित प्रसारित करने पर जोर दिया।

विधायक ने 110 किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का चेक वितरित किया

सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ तहसील के बरैनिया में स्थित पंचायत भवन पर शुकवार को क्षेत्रीय विधायक विनय वर्मा ने 110 किसानों में फसल क्षतिपूर्ति का चेक वितरित किया।गत दिनों आग लगने से बरैनिया व नकाही गांव के 110 किसानों का गेहूं का फसल चल कर राख हो गया था। चेक मिलने पर किसानों ने राहत का सांस लिया।विधायक ने कहा कि आपदा से किसानों पर दोहरी मार पड़ती है। इसमें किसानों का पैदावार तो जाता ही है इसके अलावा पूंजी भी चली जाती है।प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जा रहा है।उन्होंने किसानों से कहा कि आपको चेक के लिए तहसील में बुला कर परेशान नहीं किया गया है। आपके गांव में ही चेक मिल रहा है। यही सरकार की मंशा है। इस दौरान एसडीएम राहुल सिंह, तहसीलदार अजय कुमार, मंडी समिति सचिव रामजी यादव आदि मौजूद रहे।

सड़क किनारे हो रहे अवैध कब्जे को तहसील प्रशासन ने हटवाया

सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत लेदवा में गावं के मुख्य सड़क किनारे कुछ लोग बुनियाद डाल रहे थे। किसी ने बुनियाद को सड़क से कुछ ही दूरी पर अवैध रूप से भरने की शिकायत तहसील प्रशासन से कर दिया। उपजिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर ग्राम लेदवा में नहर पुल के निकट सड़क के गाटे में बन रही नीव बुनियाद को कड़ी निर्देश देकर हटवा दिया। इसी तरह महमूदवा ग्रांट गावं के नाले की जमीन पर अस्थाई कब्जे को भी हटाया गया। एसडीएम राहुल सिंह ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही होगी। कब्जा को हटवा दिया गया है। इस दौरान लेखपाल जिज्ञासा पाण्डेय, मुश्ताक खान,अनिरुद्ध चौधरी, राजीव यादव आदि लोग मौजूद रहे।

वैदिक रीति रिवाज से कालका गढ़ी गांव का मना जन्मोत्सव,उपस्थित लोगों ने धर्मवीर सिंह को सराहा

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। ललित कला अकादमी के स्वच्छ एवं मनोरम प्रकृति गोद में कालका गढ़ी गांव का 283 वाँ स्थापना दिवस आगंतुकों के आकर्षण एवं कौतूहलता का केंद्र रहा। कालका गढ़ी विकास परिषद के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह का प्रकृति एवं अपने ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति गहरे लगाव का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। वर्ष 2000 से वह लगातार कालका गढ़ी गांव का स्थापना दिवस हवन, वृक्षारोपण एवं प्रसाद वितरण के रूप में करते आ रहे हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली की संसद बांसुरी स्वराज, कस्तूरबा नगर के विधायक नीरज बसोया,पूर्व विधायक मदनलाल,आईपीएस उदय सहाय आईआरएस सुनीता बैसला के अलावा अनेक गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर इस स्थापना दिवस की शोभा बढ़ाई। लोगों ने परिषद के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह की भूरि भूरि प्रशंसा की जिन्हें प्राकृतिक पर्यावरण एवं अपने गांव के इतिहास से इतना गहरा लगाव है। धर्मवीर सिंह का यह प्रयास सिर्फ कालका गढ़ी गांव की स्थापना की परिधि को पार कर उन गांव के लिए भी अनुकरणीय एवं प्रेरणादाई बन गया है जहां स्थापना दिवस नहीं मनाई जाते। यह विचार अपने आप में लोगों के लिए कोतुहलता का विषय बना रहा जिसमें धर्मवीर सिंह जैसे समाजसेवी,प्रकृति प्रेमी और अपने पौराणिक इतिहास के प्रति इतना अनुराग देखने को मिल रहा है। इस स्थापना दिवस पर कालका गढ़ी गांव एवं अन्य कई जगह से गणमान्य लोग उपस्थित हुए तथा इन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी पूरी अभिरुचि दिखाई यह अपने आप में एक अलग तरह का अवसर था जिसमें लोगों ने धर्मवीर सिंह के प्रयासों को अन्य गांव में प्रचारित प्रसारित करने पर जोर दिया।

परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत

स्वतंत्र प्रभात

सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थ विश्व विद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से संबद्ध जिले के कल्लन डिग्री कॉलेज थूमुहवा भैया खुटहना पर परीक्षार्थियों को नकल कराने का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था हालांकि वॉयरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि स्वतंत्र प्रभात अखबार नहीं करता है, अखिलेश सिंह ने विश्व विद्यालय की कुलपति एवं कुलसचिव को प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य में वीडियो क्लिप भी दिया गया। नकल कराने का वीडियो क्लिप 17,18,19 दिसंबर 2024 का बताया जा रहा है।जिसमे कक्ष निरीक्षक द्वारा अन्य जगह परीक्षा की कापी लिखवाई जा रही है।और केंद्र के सभी छात्रों को बोल कर लिखवाया जा रहा है। जिसका विश्व विद्यालय के संज्ञान में होने के बाद भी उसी महाविद्यालय को पुनः परीक्षा केंद्र बना दिया गया है।शिकायत कर्ता अखिलेश सिंह ने 12 अप्रैल 2025 को एक आवेदन विश्व विद्यालय को दिया।उन्होंने कहा सिद्धार्थ विश्व विद्यालय सभी संबद्ध महाविद्यालयों में बने परीक्षा केंद्र पर सूचितपूर्ण परीक्षा कराने की बात करता है। लेकिन किन कारणों से उसे पुनः परीक्षा केंद्र बनाया गया। जब की उसे नकल कराने पर कार्यवाही होनी चाहिए।

इस संबध में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के कुल सचिव अमरेंद्र कुमार सिंह का कहना है शिकायत पर विश्वविद्यालय की कुलपति द्धारा चार सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी जो कल्लन डिग्री कॉलेज के उस दिन के परीक्षा के दौरान लगे सीसी कैमरा के फुटेज का मिलान किया गया तो उससे भिन्न पाया गया। और जहां तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की किसी भी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के सुचिता पर सवाल होता है तो उस परीक्षा केंद्र के संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

समस्तीपुर में आवारा कुत्तों का आतंक ! स्कूल जा रहे दो बच्चों को कुत्ते ने काटा, एक बच्चे की मौत

स्वतंत्र प्रभात

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को थाना क्षेत्र के बेलसंडी टाड़ा गांव में स्कूल जा रहे दो सगे भाइयों पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया।जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को विभूतिपुर पीएचसी में भर्ती कराया। जहां से दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है।

घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि गांव के विजय शाह के पुत्र अभिषेक कुमार और विवेक कुमार शुक्रवार को स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान गाछी के पास कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। जिससे दोनों बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हल्ला होने पर जुटे स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को विभूतिपुर पीएचसी पहुंचाया। जहां से दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजन दोनों बच्चों को लेकर समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचे। जहां से अभिषेक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। अभी परिवार के लोग बच्चे को लेकर पीएमसीएच जा ही रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अभिषेक की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि आवारा कुत्ते अब लोगों के लिए खतरे का सबब बनते जा रहे हैंपिछले कुछ महीनों में विभूतिपुर में आवारा कुत्तों द्वारा कई लोगों को काटकर जख्मी किया गया है। कुछ दिन पहले भी इस क्षेत्र एक बच्चे की मौत कुत्तों के काटने सी हुई थी।

जीवन में सत्य का ध्यान करना ही सबसे महत्वपूर्ण है- पंडित उदय नारायण पाण्डेय

स्वतंत्र प्रभात

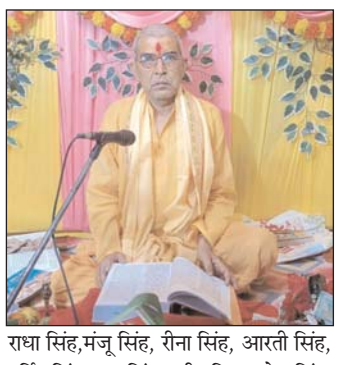

सिद्धार्थनगर। जिले के शोहरतगढ़ तहसील के बेलवा गांव में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन का सत्र भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण रहा। कथावाचक पंडित उदय नारायण पाण्डेय ने श्रोताओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का रसपान कराया। पंडित उदय नारायण पाण्डेय जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्वबोध से भरा हुआ है। महापुराण के महात्म्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें तीन मुख्य संवाद, नारद और भक्ति संवाद, सनत कुमार और नारद संवाद व गोकर्ण और धुंधकारी संवाद के माध्यम से इसकी महिमा का विस्तार किया गया है। कथावाचक ने कहा कि पहले संवाद में अर्पण की कथा, दूसरे में समर्पण की कथा और तीसरे में तर्पण की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जो कार्य समाज के लिए किया जाए वह अर्पण है, जो भगवान के लिए किया जाए वह समर्पण है, और जो पितरों के लिए किया जाए वह तर्पण कहलाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में सत्य का ध्यान करना ही सबसे महत्वपूर्ण है,और यही सत्य भगवान कृष्ण का स्वरूप है।

इस दौरान कथा आयोजक रोहित सिंह, कथा श्रोता पार्वती देवी,पूनम सिंह,रीता सिंह, राधा सिंह,मंजू सिंह, रीना सिंह, आरती सिंह, हर्षित सिंह,गगन सिंह, प्रदीप सिह, महेश सिंह, अक्षत, विमान, काव्या, शालिनी, बलराम, गौतम, सुमेर आदि उपस्थित रहे।

केंद्र सरकार देश में किफायती सीएनजी और पीएनजी उपलब्ध कराने के लिए उठा रही जरूरी कदम

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए आवंटन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से जरूरी कदम उठाए हैं, जो क्लीन एनर्जी तक पहुंच को बढ़ावा देने, शहरों में एयर क्वालिटी में सुधार और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के केंद्र के विजन के अनुरूप है। सरकार ने कहा, वाहनों में उपयोग होने वाली सीएनजी और घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग होने वाली पीएनजी की उपलब्धता बनाए रखने और उन्हें किफायती बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू गैस आवंटन नीति को शुरू किया है।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) सेगमेंट के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस का आवंटन दो-तिमाही अग्रिम आधार पर किया जाएगा। आवंटन में अब ओएनजीसी और ओआईएल को दिए गए फील्ड से न्यू वेल गैस (एनडब्ल्यूजी) भी शामिल होगी। गेल और ओएनजीसी द्वारा किए गए अनुमानों से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को अग्रिम रूप से आपूर्ति की जानकारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे योजना और वितरण दक्षता में वृद्धि होगी।

मंत्रालय ने आगे बताया, "समय पर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एनडब्ल्यूजी के लिए नीलामी आधारित आवंटन को तिमाही प्रो-राटा आवंटन के साथ बदल दिया गया है। गेल मौजूदा एमओपीएनजी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीजीडी कंपनियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुपात में एनडब्ल्यूजी आवंटित करेगा।"

घरेलू गैस आवंटन में वृद्धि परिवहन और घरेलू खाना पकाने जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एपीएम गैस और न्यू वेल गैस दोनों की कीमतें भारतीय क्रूड बास्केट की कीमतों से जुड़ी हैं, जिनका कैलकुलेशन मासिक आधार पर किया जाता है, कच्चे तेल की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट के साथ, घरेलू गैस का यह आवंटन सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस को अधिक किफायती बना देगा। मंत्रालय ने कहा, "इन रणनीतिक उपायों से सीजीडी कंपनियों के लिए मांग का अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। इससे आपूर्ति में दक्षता बढ़ेगी।"

पीएम और सीएम दौरे की तैयारियां तेज, जिलाधिकारी ने अधिकारियों संग लिया तैयारियों जायजा, दिए निर्देश

● अधिकारी अपने- अपने दायित्वों का बखूबी करें निर्वहन - डीएम

कानपुर। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज नवीन सभागार, सरसैया घाट में आगामी 24 अप्रैल को मा. प्रधानमंत्री के दौरे व विशाल जनसभा की दृष्टिगत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मा. प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा, जिला प्रशासन के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों को, जो दायित्व दिए गए हैं, उसका बखूबी निर्वहन करें। इस दौरान किसी भी अधिकारी द्वारा की गई कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगामी रविवार को मुख्यमंत्री के जनपद दौरे के दृष्टिगत भी संबंधित अधिकारियों को दिशा- निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आम जनमानस की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए। साथ ही, किसी आगंतुक को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस संबंध में भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा, उनके द्वारा अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों, प्रशासन व मीडिया के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए, जिससे कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के अलावा मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी, एडीएम सिटी डॉ राजेश कुमार, एडीएम न्यायिक चंद्रशेखर, एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार, ए सी एम प्रथम राजेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी आरती जयसवाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी मनोज कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश प्रताप सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी समेत संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद रहें।